

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 41/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र रामनारायण
2. बदामबाई
3. पिस्ताबाई पुत्रियां रामनारायण
4. गोराबाई बेवा रामनारायण जातिगण माली निवासीगण पलायथा तहसील अन्ता
(अप्रार्थीगण)

रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक- 20.04.2022

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख०न० 979 रकबा 0.37 है. किस्म तीर वाके ग्राम पलायथा तहसील-अन्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2067-70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2010-2029 में खसरा नम्बर 769/3 रकबा 18 बिस्वा किस्म नदी रहे है। वर्तमान सेटलमेंट संवत् 2044-63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 979 रकबा 0.37 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि नदी की किस्म तीर दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता/पति रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विधानानुसारते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल


जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण के अभिभाषक को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3- दौरान बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे इस पर हमने एकपक्षीय बहस परोकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4- हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम पलायथा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 769/3 रकबा 18 बिस्वा किस्म नदी को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौरान सेटलमेंट कार्य रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पलायथा के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म नदी थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 979 रकबा 0.37 है। बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म तीर दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई हैं, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै. मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5- हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2010-29 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 769/3 रकबा 18 बिस्वा किस्म नदी खाता सरकार दर्ज है, जिसका रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पलायथा तह0 अन्ता को आवंटन/नियमन किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 979 रकबा 0.37 हैं बने है, जो मुताबिक खतौनी जमाबन्दी संवत् 2044-63 रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पलायथा की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी वर्तमान में

जिला कलेक्टर
बारां (राब0)

अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पलायथा तह0 अन्ता को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म नदी खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।

6- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7- परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, अन्ता का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम पलायथा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 979 रकबा 0.37 है0 किस्म तीर, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 769/3 रकबा 18 बिस्वा किस्म नदी से बना है जिसका रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पलायथा तह0 अन्ता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते हैं कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8- तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 20.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।


(नरेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर
बारा (राज.)